सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

परिपत्र संख्या–4

पत्र क्रमांक–23017/1/2014/ NPR/101 दिनांक 16-10-2015

जिला रजिस्ट्रार, सिविल रजिस्ट्रेशन
(जिला कलक्टर/आयुक्त नगर निगम)

विषयः मिसिंग ब्लॉक (Missing Blocks) की टिफ ईमेज से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन करने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र के निर्देशानुसार राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के डाटाबेस को अद्यतन व डाटाबेस में आधार नम्बर शामिल करने के कार्य हेतु समयावधि 10 अक्टूबर से 9 नवम्बर 2015 निर्धारित की गई है। आशा है आपके जिले में सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) के मुद्रण का कार्य पूर्ण हो चुका होगा सभी चार्जों में प्रगणकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका होगा एवं क्षेत्र कार्य प्रगति पर होगा।

राज्य के जिलों में स्थित चार्जो से कुछ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के ब्लॉक के ऑकडे उपलब्ध कराये गये डाटा बेस मे नही होने की सूचना निदेशालय में प्राप्त हुई है इस सम्बन्ध में आपको इन ब्लॉकों हेतु 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य के दौरान भरी गई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अनुसूचियों की Images की प्रति सॉफ्ट कॉपी में भिजवाई जा रही है।

आपको दिये गये निर्देशानुसार जिस प्रकार पूर्व में अन्य ब्लॉकों की LRUR की पुस्तिका के प्रिन्टिंग का कार्य किया गया है उसी प्रकार मिसिंग ब्लॉक हेतु images की A-4 साइज में प्रिन्टिंग का कार्य पूरा किया जाना है। एन.पी.आर के खाली फार्म तथा सार पत्रक भी परिपत्र 2 मे दिये गये निर्देशो के अनुसार लगाकर पूरे ब्लॉक हेतु बाईन्डिंग का कार्य पूरा किया जाना है। इस कार्य हेतु दर पहले दी गई दर के अनुसार ही अधिकतम 170 रू प्रति ब्लॉक रहेगी इस कार्य हेतु राशि आपको पूर्व मे ही जारी की जा चुकी है।

मिसिंग ब्लॉक हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अनुसूचियों की ब्लॉक अनुसार प्रिन्टिंग पूरी करवाने के पश्चात् चार्ज अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस के अद्यतन का कार्य पूरा किया जाना है।

1. व्यक्ति का पूरा नाम (प्रश्न सं. 1)– यदि उत्तरदाता क्षेत्र कार्य के दौरान स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य का नाम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस में गलत बताता है तो लाल स्याही से गोला कर सही नाम दर्ज किया जाना है। यदि नाम सही है तो नीली स्याही से सही का चिन्ह लगायें।
2. जन्म तिथि (प्रश्न सं. 5) यदि उत्तरदाता के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस में जन्म तिथि गलत दर्ज है तो लाल स्याही से गोला कर सही जन्म तिथि दर्ज की जानी है यदि सही है तो नीली स्याही से सही का निशान दर्ज करायें।
3. पिता, माता का नाम (प्रश्न सं. 9)–यदि सूचना प्रदाता के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस में पिता व माता का नाम सही दर्ज है तो नीली स्याही से सही का निशान दर्ज करें, गलत होने पर लाल स्याही से गोला लगा कर सही नाम दर्ज करें।
4. साईड बी में व्यक्ति के नाम वाले कॉलम के नीचे व्यक्ति का आधार नम्बर/ई आई डी नम्बर उपलब्ध होने पर पर दर्ज किया जाना है।
5. जन्म स्थान का नाम (प्रश्न सं. 10)– यदि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस में जन्म स्थान सही दर्ज है तो सही का निशान दर्ज करें। उत्तरदाता के अनुसार जन्म स्थान गलत होने पर लाल स्याही से गोला लगा कर सही जन्म स्थान दर्ज करें।
6. व्यक्ति का वर्तमान पता (प्रश्न सं. 12)– यदि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस में वर्तमान पता सही दर्ज है तो नीली स्याही से सही का निशान दर्ज करें, उत्तरदाता के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटाबेस में वर्तमान पता गलत होने पर लाल स्याही से गोला बनाकर सही वर्तमान पता दर्ज करे।
7. यदि किसी परिवार मे नये सदस्य जोडे जाने है तो रिक्त पंक्तियो मे उन्हें जोडा जा सकता है। अधिक सदस्य होने पर प्रविष्टि नये खाली फार्म में की जानी है। उसमे परिवार संख्या वही लिखी जानी है।

8. नये परिवार आने पर अथवा ईमेज में परिवार उपलब्ध ना होने पर एन.पी.आर पुस्तिका के साथ लगाये गये खाली फार्मो मे प्रविष्टियां पूर्व मे जारी किये गये निर्देशो के अनुसार की जानी है।

9. यदि परिवार का कोई सदस्य बर्हिप्रवासित (Out Migrated) हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति मे उस सदस्य की प्रविष्टि को लाइन खींच कर काट दें और उसके सामने बर्हिप्रवासित या मृत दर्ज करें।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अनुसूची की बी साईड में दांयी ओर सबसे नीचे राशन कार्ड संख्या दर्ज की जानी है। सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (LRUR) में दर्ज परिवार के पास एक से अधिक राशनकार्ड सम्भव है। इस स्थिति में परिवार के पास उपलब्ध सभी राशन कार्ड नम्बरों की प्रविष्टि परिपत्र तीन में दिये गये निर्देशो के अनुसार की जानी है।

भवदीय,

15/10/15

(आर.आर.मीना)
संयुक्त निदेशक एवं
नियंत्रक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, 2ए मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
2. शासन सचिव, आयोजना, सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. भारत के अतिरिक्त महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, 2ए मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
4. डॉ. हंसराज यादव, राज्य समन्वयक (NPR) एवं अतिरिक्त निदेशक (UID), कमरा नम्बर 210, न्यू आईटी बिल्डिंग, योजना भवन, जयपुर
5. श्री एम.एस.भाटी, उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी (एनपीआर) – राजस्थान – भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2ए, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011
6. समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
7. समस्त अतिरिक्त जिला कलक्टर
8. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक, सांख्यिकी
9. समस्त तहसीलदार
10. समस्त आयुक्त नगर निगम / प्रशासक / अधिशाषी अधिकारी
11. निजी सहायक, संयुक्त निदेशक (नि.अ.) महोदय
12. श्री लोकेश जैन, डीपीए – विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(पुनीत मेहरोत्रा)
सहायक निदेशक